

# कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, जिला 30 ब0 कांकेर (छ0ग0)

विभाग में संचालित राज्य पोषित योजनाओं की जानकारी का आलेख

क्रमांक	योजना का नाम	घटक का नाम	इकाई	वित्तीय वर्ष 2018-19 में				लाभान्वित हितग्राही	योजना का संक्षिप्त विवरण
				भातिक		वित्तीय (लाख)			
				लक्ष्य	पति	लक्ष्य	पति		
1	फल विकास कार्यक्रम	विभागीय आम नवीन रोपण	हेक्टर	107.00	92.50	4.2452	-	205	योजना के अन्तर्गत भूस्वामी कृषक को आम फलोद्यान रोपण पर प्रति हेक्टर लागत राशि ₹ 43750/- पर 25% अनुदान राशि ₹ 10938/- पांच वर्षों में देने का प्रावधान है, प्रति कृषक न्यूनतम 1/4 एवं अधिकतम 2 हेक्टर तक का लाभ दिया जाता है।
2	फल विकास कार्यक्रम	आम रखरखाव	हेक्टर	135.00	20.00	1.8833	-	40	आम फलोद्यान के नये बगीचों के रखरखाव हेतु इकाई लागत का 25 प्रतिशत अनुदान आदान सामग्री के रूप में दिया जाता है।
3	फल विकास कार्यक्रम	टापवर्किंग प्रशिक्षित अम्ले से	संख्या	5500	1345	0.55	-	280	कृषकों के यहाँ देशी आम, एवं बेर के पौधों को उन्नतशील किस्मों में परिवर्तित कर अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना योजना का उद्देश्य है प्रति पौध 10 रुपये अनुदान प्रावधानित है
4	टापवर्किंग प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थी	टापवर्किंग प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थी	संख्या	2	-	0.114	-	-	कृषकों के यहाँ देशी आम, एवं बेर के पौधों को उन्नतशील किस्मों में परिवर्तित कर अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना योजना का उद्देश्य से कृषकों को टापवर्किंग कार्य से संबंधित प्रशिक्षण 10-10 दिवसीय दो चरणों में दिया जाकर प्रशिक्षित किया जाता है।
5	सुक्ष्म सिंचाई योजना	सुक्ष्म सिंचाई योजना	हेक्टर	15.00	-	13.5	-	-	योजना अंतर्गत ड्रिप पर अनुदान लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु 70 प्रतिशत एवं बड़े कृषकों हेतु 50 प्रतिशत निर्धारित की गई है।
6	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	हेक्टर	100.00	-	90.35	-	-	योजना अंतर्गत ड्रिप पर अनुदान लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु 70 प्रतिशत एवं बड़े कृषकों हेतु 50 प्रतिशत निर्धारित की गई है।
7	टपक सिंचाई	नवीन टपक सिंचाई योजना	संख्या	3	-	0.405	-	-	बी0पी0एल0 एवं लघु/सीमांत कृषकों के बाड़ी में टपक सिंचाई योजना पर 75% अनुदान प्रति हितग्राही 0.05 हेक्टर (500 वर्ग मीटर) में टपक सिंचाई स्थापना हेतु राशि ₹ 18000/- का 75% अनुदान राशि ₹ 13500/- अनुदान देय है।
8	सब्जी विकास कार्यक्रम	नदी के कछार पर सब्जी विकास कार्यक्रम	हेक्टर	46.00	45.25	5.405	-	164	नदी के कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना के तहत प्रति हितग्राही न्यूनतम 0.25 हेक्टर एवं अधिकतम 0.4 हेक्टर क्षेत्र के लिये इकाई लागत राशि ₹ 23500/- का 50% अनुदान राशि ₹ 11750/- अनुदान आदान सामग्री के रूप में देय है।
9	सामुदायिक फेंसिंग योजना	सामुदायिक फेंसिंग योजना	हेक्टर	32.00	-	17.435	-	-	उद्यानिकी एवं नगदी फसलों में फेंसिंग हेतु चयनित हितग्राहियों को न्यूनतम 0.50 हेक्टर एवं अधिकतम 2.0 हेक्टर क्षेत्र में केवल फेंसिंग सामग्री यथा सीमेंट पोल एवं चैनलिक पर अनुदान देय होगा शेष व्यय कृषकों को स्वयं वहन करना होगा। प्रति हेक्टर इकाई लागत 1,08,970.00 का 50 प्रतिशत अनुदान 54,485.00 का अनुदान देय है।

सहायक संचालक उद्यान  
जिला 30 ब0 कांकेर (छ0ग0)